इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 574] भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2010—कार्तिक 8, शक 1932

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-35-110-2005-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये;

(2) अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10, सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किये जाने की तारीख 30 अक्टूबर, 2010 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

"मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल एवं उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों के अन्तर्गत विद्युत् के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (आपरेटिव) तथा अनुसचिवीय व्यक्तियों की सेवाएं."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

पृ. क्र. एफ-35-110-2005-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-35-110-2005-सी-1, दिनांक 30 अक्टूबर, 2010 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal, the 30th October 2010

F. No. 35-110-2005-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

(2) NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential service specified in the Schedule with effect from the 30th October, 2010 for a period of three months:—

SCHEDULE

"Services of Scientific, technical, operative, and ministerial personnel connected with electricity generation, transmission and distribution of electricity by or under the Madhya Pradesh State Electricity Board and its successor companies."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY KATARIA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.